सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **78/2018** दायर दिनाँक **20.03.2018**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. कानाराम पुत्र फुसा, उम्र–30साल, जाति–जाट, निवासी–रणसीसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. छोटूराम पुत्र फुसा, उम्र–70साल, 2. चन्द्राराम पुत्र फुसा, उम्र–75साल, 3. मांगीलाल पुत्र बुधाराम, उम्र–55साल, 4. बिरदी पत्नी बुधाराम, उम्र–65साल, 5. चुकली पत्नी किशनाराम, उम्र–65साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–रणसीसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की पैतृक राजस्व भूमि ग्राम चौमू पटवार

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

हल्का पालोट में अवीलत खसरा संख्या 110 रकबा 19.16 बीघा अवस्थित है।

वादग्रस्त भूमि पारिवारिक समझौता–पत्र के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को सभी खातेदारान् ने बखेड़ में देदी है जिससे उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है।

वादी को अपना केसीसी कार्ड बनवाने तहसील कार्यालय जाकर नकल खतौनी लेने पर चला कि, पारिवारिक समझौता से प्राप्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से खातेदारी में नाम परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में अड़चनें आ रही है। अतः पेश करना लाजमी आया है।

अनुतोष वादी है कि,

ग्राम चौमू पटवार हल्का में खसरा नम्बर 110 रकबा 19.16 बीघा की डिक्री बहक वादी व प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 06 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम चोमू खसरा नम्बर 110 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**केराप** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 ने अपनी ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। पक्षकारान् की पहचान सरपंच ग्रामपंचायत केराप श्रीमती प्रीति शर्मा ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान्, तस्दीक किया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 78/2018
दायर दिनाँक 20.03.2018, निर्णय दिनाँक 16.05.2018
कानाराम, वगैरा बनाम छोटूराम, वगैरा।

राजीनामा मुताबिक, शरहद मौजा चोमू पटवार क्षेत्र पालोट में खसरा नम्बर 110 रकबा 19.16 बीघा सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वादी कानाराम व प्रतिवादी संख्या 01 छोटूराम के संयुक्त रूप से घोषित की जावे।

मजमे आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, जानकारी के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का है तथा इसी अनुसार संयुक्त रूप से खातेदारी घोषित किया जाना सही पाया गया है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि शरहद मौजा चोमू पटवार क्षेत्र पालोट में खसरा नम्बर 110 रकबा 19.16 बीघा सम्पूर्ण भूमि की खाातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के घोषित किया जाना व शेष पक्षकारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है

अतः, वाद वादी, बाद विवेचना, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **चोमू पटवार क्षेत्र पालोट** में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 19.16 बीघा भूमि का, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 तक का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–केराप

निर्णय, आज दिनाँक **16.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–केराप

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **78/2018** दायर दिनांक **20.03.2018**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. कानाराम पुत्र फुसा, उम्र—30साल, जाति—जाट, निवासी—रणसीसर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. छोटूराम पुत्र फुसा, उम्र—70साल, 2. चन्द्राराम पुत्र फुसा, उम्र—75साल, 3. मांगीलाल पुत्र बुधाराम, उम्र—55साल, 4. बिरदी पत्नी बुधाराम, उम्र—65साल, 5. चुकली पत्नी किशनाराम, उम्र—65साल, समस्त,जाति—जाट, निवासी—रणसीसर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

दिनॉक **16.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **चोमू पटवार क्षेत्र पालोट** में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 19.16 बीघा भूमि का, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 तक का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत.............
........—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—केराप

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सकोर्ट कैम्प—कराप
सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–78–2018 / रीडर / 2018 / दिनाँक 16.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र फुसा, उम्र–30साल, जाति–जाट, निवासी–रणसीसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. छोटूराम पुत्र फुसा, उम्र–70साल, 2. चन्द्राराम पुत्र फुसा, उम्र–75साल, 3. मांगीलाल पुत्र बुधाराम, उम्र–55साल, 4. बिरदी पत्नी बुधाराम, उम्र–65साल, 5. चुकली पत्नी किशनाराम, उम्र–65साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–रणसीसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–केराप

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–78–2018/रीडर/2018/ दिनाँक 16.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्

घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र फुसा, उम्र–30साल, जाति–जाट, निवासी–रणसीसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. छोटूराम पुत्र फुसा, उम्र–70साल, 2. चन्द्राराम पुत्र फुसा, उम्र–75साल, 3. मांगीलाल पुत्र बुधाराम, उम्र–55साल, 4. बिरदी पत्नी बुधाराम, उम्र–65साल, 5. चुकली पत्नी किशनाराम, उम्र–65साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–रणसीसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–केराप

Scanned by CamScanner